

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी-4763/2018/रीवा/भू-र

रामप्रसाद पुत्र श्री बद्रीराम ब्राह्मण,
निवासी- ग्राम चाकघाट, तहसील त्योंथर,
जिला रीवा (म0प्र0)

---निगरानीकर्ता / आवेदक




बनाम

1. भक्तदर्शन पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद,
उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती,
2. राजकमल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद,
उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती, निवासी- ग्राम
चाकघाट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा
(म0प्र0)
3. रामप्रपच पुत्र श्री हरमंगल, उम्र 45 वर्ष,
पेशा खेती,
4. श्रीनिवास पुत्र श्री हरमंगल, उम्र 40 वर्ष
पेशा खेती,
5. रामकैलाश पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, उम्र
50 वर्ष, पेशा खेती,
6. रामराज पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, उम्र
45 वर्ष, पेशा खेती,
7. रामकान्त पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, उम्र
40 वर्ष, पेशा खेती,
8. जगनायक पुत्र श्री लोकनाथ,
निवासीगण- ग्राम चाकघाट, तहसील
त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

---रिस्पोंडेन्ट्स / अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 . विरुद्ध
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0 के
प्रकरण क्रमांक 131/ए-27/2017-18/अपील व उनवान रामकैलाश
आदि बनाम रामप्रसाद आदि।

4-8-18
10-8-18
4-8-18



76

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-4763/2018/रीवा/भू.रा.

रामप्रसाद विरुद्ध भक्तदर्शन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 131/ए-27/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 07-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19</p>